सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( ) पराविं/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/ट्रैप/बिछीवाडा/2016/728 जयपुर दिनांकः– 31.3.2016

–: आदेश :–

श्री अशोक राठौड, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूगरपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर पी.सी. एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 13(1) (डी), 13 (2) एवं भा.दं.सं की धारा 120 बी के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की गयी है।

अतः श्री राठौड को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 16.3.2016 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाता है, साथ ही श्री राठौड की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (शिक्षा विभाग) को लौटायी जाकर श्री राठौड को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गिरीश पाराशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 19.9.2013 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
9. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
11. जिला कलक्टर, डूँगरपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर/उदयपुर।
13. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूँगरपुर।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूँगरपुर।
15. श्री अशोक राठौड, विकास अधिकारी पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूँगरपुर को पालनार्थ।
16. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
17. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.1)